उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 27.7.02 को सम्पन्न हुई प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

1. उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 27.7.02 को प्रातः 11:00 बजे अध्यक्ष (प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण उत्तरांचल शासन) की अध्यक्षता में वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त परिसर स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई. बैठक की उपस्थिति संलग्न हैं (संलग्नक : 1).

2. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से "बोर्ड" के सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड बैठक के औचित्य एवं एजेण्डा के संबंध में संक्षिप्त जानकारी बैठक में उपस्थित सदस्यों की दी गई बैठक के एजेण्डा अनुसार निम्न निर्णय लिये गये:-

2.01 विभिन्न अधिकारियों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिनिधायन :

अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार निम्न संशोधन के साथ स्वीकृत किये गये:

अध्यक्ष को रूपये 25000.00 से अधिक विधिक परामर्शी सेवाओं तथा अधिवक्ताओं की फीस स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया एवं जिसे बोर्ड के आगामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये.

1. अध्यक्ष को रूपये 10000.00 से अधिक के विज्ञापनों की स्वीकृति के लिए अधिकृत किया गया. परन्तु विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से बोर्ड बजट के अंतर्गत ही प्रकाशित हो.
2. सदस्य सचिव को रूपये 10000.00 तक के विज्ञापन की स्वीकृति के लिए उपरोक्तानुसार अधिकृत किया गया.
3. अधिकारिगों के आवास अथवा कार्यालय में नये टेलीफोन की स्वीकृति बोर्ड के माध्यम से प्राप्त की जाये.
4. अन्य अधिकारियों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति से प्रदान किये जाये.

2.02 उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रशासनिक ढांचा :

क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को उच्चीकृत करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के कार्यो के साथ उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय का कार्य सौंपा गया हैं. "बोर्ड" के क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा पूर्ववत् कुंमाऊ मण्डल के छः जनपदों का कार्य सम्पादित किया जाएगा।

"बोर्ड" मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून तथा क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा निम्नवत् पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

क: "बोर्ड" मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून :

क्र0	पद		टिप्पणी
1.	अध्यक्ष	1	
2.	सदस्य सचिव	1	
3.	मुख्य पर्यावरण अधिकारी वेतनमान 12000–375–16500	1	नियुक्ति तकनीकी अधिकारियों/पर्यावरण अभियंताओं/वैज्ञानिक/अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो पदोन्नति के द्वारा
4.	पर्यावरण अभियंता/अधिकारी	2	
5.	सहायक पर्यावरण अभियंता/अधिकारी	2	
6.	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	1	
7.	विधि सलाहकार	1	अंशकालिक/संविदा पर
8.	लेखाधिकारी	1	
9.	निजी सहायक	2	
10.	अवर अभियंता	2	
11.	वैज्ञानिक सहायक	1	
12.	लेखाकार	1	
13.	आंशुलिपिक	2	
14.	वरिष्ठ लिपिक	1	
15.	कनिष्ठ लिपिक	3	संविदा पर
16.	प्रयोगशाला सहायक	1	
17.	अनुश्रवण सहायक	4	चार में से दो संविदा पर
18.	वाहन चालक	3	
19.	चपरासी/चौकीदार	6	"मृत संवर्ग है"
	कुल योग	36	

नोट– बोर्ड अपने वाहन खरीदकर चालक नियुक्त करने के स्थान पर आवश्यकतानुसार प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर टैक्सी किराये पर ले सकते है.

खः उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी)

1.	क्षेत्रीय अधिकारी / पर्यावरण अभियंता / अधिकारी	1
2.	सहायक पर्यावरण अभियंता / अधिकारी	2
3.	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	1
4.	अवर अभियंता	2
5.	वैज्ञानिक सहायक	1
6.	लेखाकार	1
7.	वरिष्ठ लिपिक	1
8.	कनिष्ठ लिपिक	2
9.	प्रयोगशाला सहायक	1
10.	अनुश्रवण सहायक	2
11.	वाहन चालक	1
12.	चपरासी / चौकीदार	4 (मृत संवर्ग हैं)
	कुल योग	19

– सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था संविदा के आधार पर करायी जाएगी.

– बोर्ड के अधिकारियों / कर्मचारियों को बजाज समिति की संस्तुति के अनुसार पंचम वेतन आयोग के अनुरूप वेतन दिये जाये.

– लिपिकीय संवर्ग को super newacey एवं आई.टी. कम्पनी से संविदा के आधार सम्पादित कराया जाये.

– बोर्ड की स्वयं की सेवा नियमावली तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायें.

2.03 उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2002–03 के व्यय हेतु बजट प्रस्ताव :

– संशोधित बजट बोर्ड के सदस्यों को अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाएगा.

(6)

2.04 उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय हेतु किराये पर भवन लिये जाने के संबंध में :

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया.

2.05 अंशकालीन विधि सलाहकार की नियुक्ति के संबंध में :

नियुक्ति एक वर्ष के लिए स्वीकृत की गयी.

2.06 विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित रिर्पोट पर हुए व्यय के संबंध में :

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया.

2.07 बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में :

बैठक में चर्चा के उपरांत बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव उत्तरांचल शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया.

1.	प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन, देहरादून.	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन	सदस्य
3.	सचिव, स्वास्थ्य, उत्तरांचल शासन.	सदस्य
4.	सचिव, परिवहन, उत्तरांचल शासन.	सदस्य
5.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल शासन	सदस्य
6.	अध्यक्ष / प्रशासक, नगर निगम, देहरादून.	सदस्य
7.	अपर सचिव, नगर विकास, उत्तरांचल शासन.	सदस्य
8.	अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन.	सदस्य
9.	उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	सदस्य
10.	सचिव झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल	सदस्य
11.	अध्यक्ष / प्रशासक, नगरपालिका, काशीपुर.	सदस्य
12.	अध्यक्ष / प्रशासक, नगरपालिका, हरिद्वार	सदस्य
13.	निदेशक आई.आई.टी. रूड़की तथा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
14.	हिमालयन पर्यावरण संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
15.	उद्योग विभाग द्वारा नामित संस्था	सदस्य
16.	(अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन.)	सदस्य सचिव

[illegible]

2.08 जल ("प्रदूषण" निवारण तथा " नियंत्रण") अधिनियम, 1974 तथा वायु (" प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण") अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में:

– प्रस्ताव स्वीकृत किया गया.

2.09 बोर्ड की अस्तियों एवं परिसम्पत्तियों का विभाजन :

– बैठक में चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि 9.11.2000 के उपरांत जल उपकर,, सहमति शुल्क एवं अन्य शुल्को की उ.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से वापस लिया जाये (नेटवर्थ) सम्पत्ति के बंटवारे की कार्यवाही की जाये तथा दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया जाये. कर्मियों की अदला बदली 1:1 समान श्रेणी व पद के आधार पर की जाये।

2.10 बोर्ड कार्मिकों को अतिरिक्त महंगाई किस्त के संबंध में:

– प्रस्ताव स्वीकृत किया गया.

2.11 बोर्ड द्वारा उद्योगों को निर्गत किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना की शर्त अधिरोपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव :

– प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा चेन्नई में इस संदर्भ में हुऐ कार्य के अनुसार प्रदेश में भी कार्यवाही की जाये.

2.12 नई दिल्ली में 8 व 9 जुलाई को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक की आख्या:

– प्रस्ताव अवलोकित किया गया.

2.13 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय :

1. औद्योगिक उत्प्रवाह का विश्लेषण, उद्योगों की चिमनी के उत्सर्जन, नदियों, झीलों आदि की गुणता, परिसंकटमय अपशिष्ट का विश्लेषण बोर्ड की प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त आई.आई.टी. रूड़की एवं जी.बी. प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय से भी कराने के लिए अधिनियमों के अंतर्गत जाये.

2. जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध एवं हस्तन) नियम 1998 यथासंशोधित क्रियान्वयन राज्य में करने हेतु उक्त नियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाये.

3. नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंध एवं हथालन) नियम 2000 का अनुपालन निगम, नगर निकायों आदि से कराये जाने के लिए इन नियमों की जानकारी के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाये. जिससे संबंधित के विशेषज्ञ, समस्त जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर के नगर प्रशासक तथा विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष को भी सम्मि किया जाय.

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीनियर रिसर्च फैलो तथा जूनियर रिसर्च फैलो को आई.आई.टी. रूड़की एवं जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के माध्यम से चलाया जायें.

अंत में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय व उपस्थित समस्त बोर्ड सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया.

अशोक
(सदस्य सचिव)
उत्तरांचल, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
देहरादून

डा0 आर.एस.टोलिया
(अध्यक्ष)
उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून